"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 313] रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2009—आश्विन 29, शक 1931

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 1-21/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत सारंगढ़, जिला रायगढ़ की सीमा में सम्मिलित करते हुए नगरपालिका सारंगढ़ गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगरपालिका, सारंगढ़ का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	नगरपालिका सारंगढ़ में सम्मिलित किये जाने वाले ग्राम पंचायतों के नाम	नगरपालिका सारंगढ़ में सम्मिलित किये जाने वालो ग्रामों के नाम	जनसंख्या वर्ष (2001)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सारंगढ़ (नगर पंचायत)		14459
2.	चंदाई	जूनाडीह	300
		खैरहा	360
3.	रानीसागर	रानीसागर	480
		मोहरभांठा, देवारपारा	630
		प्रतापगंज	789

(1)	(2)	(3)	(4)
		झरियापारा	290
		घसियापारा	375
		कुशलनगर, बरेजभांठा	346
		टेंगनापाली	522
		गदहाभांठा	207
		बरपाली	189
		बुटीपारा, तुरीपारा	366
4.	कुटेला	कुटेला	560
		भोजपुर	458
		चिंगारीपाली	204
5.	सहसपुर	सहसपुर	447
		बाबाकुटी	860
		विशालपुर	206
		योग	22048

अनुसूची-2

सारंगढ़ नगरपालिका की संशोधित सीमाएं निम्नानुसार होगी :—

राजस्व ग्राम पंचायत चंदाई, रानीसागर, कुटेला, सहसपुर एवं नगर पंचायत सारगंढ़ तथा अनुसूची क्रमांक एक के कालम 3 में अंकित ग्रामों की सीमाएं ही नगरपालिका सारंगढ़ की सीमाएं होगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति, उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर, रायगढ़ को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 20th October 2009

NOTIFICATION

No. F. 1-21/18/2009.—In exercise of the powers conferred by Section 5 (1) (a) of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby include the following Gram Panchayat in the boundry of Nagar Panchayat Sarangarh hereby signify their intention to constitute a Nagar Palika Sarangarh in District-Raigarh as given in the following Schedule :—

SCHEDULE-1

The particulars of Nagar Palika Sarangarh is as under :—

Sl. No. (1)	Proposed Gram Panchayat to be included in Nagar Palika Sarangarh (2)	Proposed Villages to be included in Nagar Palika Sarangarh (3)	Population (Yr. 2001) (4)
1.	Sarangarh (Nagar Panchayat)	-	14459
2.	Chandai	Joonadeeh	300
		Khairha	360

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Ranisagar	Ranisagar	480
		Moharbhantha, Dewarpara	630
		Pratapganj	789
		Jhariyapara	290
		Ghasiyapara	375
		Kushalnagar, Barejbhantha	346
		Tenganapalee	522
		Gadahabhantha	207
		Barpalee	189
		Buteepara, Tureepara	366
4.	Kutela	Kutela	560
		Bhojpur	458
		Chingareepalee	204
5.	Sahaspur	Sahaspur	447
		Babakutee	860
		Vishalpur	206
		Total	**22048**

SCHEDULE-2

The revised boundaries of the Nagar Palika Sarangarh is as below :—

The Boundaries of Nagar Palika Sarangarh shall include the boundaries of existing revenue Gram Panchayat Chandai, Ranisagar, Kutela, Sahaspur and Nagar Panchayat Sarangarh as well as the boundaries of Villages which is shown in column No. 3 of Schedule 1.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector, District-Raigarh on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमन्त पहारे, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.